उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम
(UPCOS)

विषय सूची

क्र0स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	वर्तमान स्थिति एवं समस्यायें	3
2	समाधान (Solutions)	5
3	निगम के उद्देश्य	6
4	परिणाम (Outcomes)	7
5	आर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर	11
6	श्रेणी–पदवार	17
7	चयन प्रक्रिया	18

वर्तमान स्थिति एवं समस्यायें

1. सरकार द्वारा विभागों/संस्थाओं को कांट्रैक्ट/मानदेय/आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवायें ली जा रही हैं।

2.कांट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेन्सीज के माध्यम से प्राप्त होता है।

3. आटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेन्सियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिलता है।

4. कार्मिकों का चयन करते समय एवं नवीनीकरण के समय धन वसूली/शोषण की शिकायतें हैं।

5. **EPF** तथा **ESI** खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किये जाने की शिकायतें हैं।

6. प्रत्येक वर्ष एजेन्सी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का **EPF/ESI/GST** की धनराशि पुरानी एजेन्सी में ही रह जाती है।

7. कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है।

क्रमशः.....

8. प्रत्येक वर्ष एजेन्सियों के परिवर्तन के कारण **EPF** तथा **ESI** खातों का विभागों द्वारा मानीटरिंग एवं एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई हो रही है।

9. **EPF** तथा **ESI** से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना से मृत्यु/विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कार्मिकों को नहीं मिला रहा है।

10. **SC/ST/OBC**/दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है।

11. इन समस्त समस्याओं से कार्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है।

12. जी0एस0टी0 **18%** एवं कमीशन **4.5%** के रूप में कुल **22-5%** राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय–भार।

समाधान (Solutions)

1. आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम के गठन की आवश्यकता है।
2. एक पारदर्शी एवं केन्द्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
3. आउटसोर्स कार्मिकों को पूर्ण निर्धारित मानदेय, EPF तथा ESI की धनराशि जमा करना एवं समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा।
4. आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की सेवायें समाप्त करना, एजेन्सियों द्वारा किए जा रहे कार्मिकों के उत्पीड़न को समाप्त करना।
5. निगम का गठन कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा–8 के अन्तर्गत नॉन प्राफिटेबल आर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित।
6. निगम वन स्टाप शॉप होगा। सभी विभागों/संस्थाओं/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थायें को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध करायेगा।
7. गठन के पश्चात् पूर्व से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवायें यथावत् रहेंगी एवं कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जायेगा।

निगम के उद्देश्य

1. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैनपावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं में उपलब्ध कराना।
2. बिना किसी उत्पीड़न के नियमों व कानूनों के अन्तर्गत स्टेट्यूटरी ड्यूज के साथ पूर्ण इमोल्यूमेंट का भुगतान सुनिश्चित करना।
3. प्रत्येक माह की 01 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना।
4. प्रोफेशनल और कन्सल्टिंग आर्गनाइजेशन एवं कन्सल्टेन्टस को सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों/संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

परिणाम (Outcomes)

1. आउटसोर्स कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 01 तारीख को सुनिश्चित किया जायेगा।
2. निर्धारित मानकों (**Parameters**) द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
3. समस्त आउटसोर्स मैनपावर के **EPF** तथा **ESI** के खाते अनिवार्य रूप से खोलना एवं समय से एवं पूर्ण भुगतान किया जायेगा।
4. **EPF** तथा **ESI** से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए कार्मिक को निगम के पोर्टल पर आवेदन करेगा तथा निगम द्वारा समस्त लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से किसी भी संबंधित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

(A) ESI से प्राप्त होने वाले लाभ :–

1. समस्त महिला कार्मिकों को 180 दिन (छः माह) पेड मैटिरनिटी लीव (प्रथम एवं द्वितीय डिलीवरी पर) एवं मिसकैरेज होने पर 42 दिनों का पेड मैटिरनिटी लीव प्रदान किया जायेगा।
2. अस्वस्थता की स्थिति में 91 दिन तक **70%** पेड लीव एवं असाध्य रोग की स्थिति में 124 से 309 दिनों तक **80%** पेड लीव दिया जायेगा तथा विशेष परिस्थितयों में यह 730 दिनों (02 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

3. कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशिलिटी सेवायें ESI चिकित्सालय/ESI द्वारा इम्पैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार, शल्य चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेंगी एवं सुपर स्पेशिलिटी डायग्नोस्टिक सेवायें ESI चिकित्सालय में ESI द्वारा इम्पैनल्ड, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स पर मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराई जायेंगी। उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में 57 सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय/डायग्नोस्टिक सेन्टर्स इम्पैनल्ड है।

4. ESI मेडिकल/डेण्टल/नर्सिंग कालेज एवं अन्य सरकारी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0एस0सी0 नर्सिंग कोर्स में आउटसोर्सिंग कार्मिकों के बच्चों हेतु निर्धारित सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्मिक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु रू0 15,000/– परिवार के सदस्यों को दिये जायेंगे।

(B) EPF से प्राप्त होने वाले लाभ :–

1. कार्मिक की दुर्घटना से मुत्यु होने पर रू0 2.50 लाख से रू0 7 लाख तक की धनराशि परिवार को दी जायेगी।

2. 60 वर्ष के बाद सेवा–अवधि के आधार पर रू0 1000 से रू0 7500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी।

3. विधवा को रू0 1000 से रू0 2900 आजीवन पेंशन दी जायेगी।

4. अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर उनके माता–पिता को आजीवन रू0 1000 से रू0 2900 पेंशन दी जायेगी।

(C) राज्य सरकार को प्रस्तावित प्रकरण :–

1. आउटसोर्स कार्मिकों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित है।

2. समस्त कार्मिकों को 10 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रस्तावित है।

3. कार्मिक को शासकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने पर निर्दिष्ट धनराशि (T.A./D.A.) विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।

4. कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर रू0 2 लाख एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू0 5 लाख EX-gratia के रूप में राज्य सरकार द्वारा
दिया जाना प्रस्तावित है।

(D) बैंक से प्राप्त होने वाले लाभ :–

1. दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर बैंक द्वारा रू0 30 लाख तक की धनराशि कार्मिक के परिवार को दी जायेगी। इस हेतु कार्मिक को किसी प्रकार का प्रीमियम देय नहीं होगा।

(E) निगम से प्राप्त होने वाले लाभ :–

1. प्रत्येक माह की 01 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना।
2. **ESI, EPF** एवं बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुनिश्चित की जायेंगी।
3. कार्मिकों की कार्यक्षमता/दक्षता बढ़ाये जाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4. राज्य सरकार को **18% (9% CGST + 9% SGST) + 4.5%** कमीशन अर्थात कुल **22.5%** की बचत होगी।
5. श्रेणी–4 के कार्मिकों की ऐसी बालिकाओं के लिए जो मेडिसिन में चयनित हुई हैं, अथवा एम0टेक0, आई0आई0टी0,आई0आई0एम0, पी0एच0डी0 हेतु चयनित, यू0पी0एस0सी0 की मुख्य परीक्षा में चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों को निगम के वेलफेयर फण्डस से एक लाख रू0 दिए जायेंगे। उपरोक्त सुविधा एक परिवार में एक बालिका को एक ही बार अनुमन्य होगी।
6. **EPF/ESI** में जमा धनराशि की जानकारी मोबाइल पर मैसेज/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी।
7. निगम कार्यालय पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड/पेपर लेस होगा एवं आनलाइन के माध्यम से कार्य करेगा।

आर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक संरचना

(A) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

(B) सलाहकार समिति

(C) निगम कार्यालय

(D-1) शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति

(D-2) मण्डल स्तर की समिति

(D-3) जिला स्तर की समिति

(A) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स :-

1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समग्र रणनीतिक दिशा और नीतियाँ प्रदान करना, निगम के प्रबंधन संचालन को सुनिश्चित करना
2. निगम के बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करना।
3. निगम मुख्यालय के पद सृजन एवं वेतन निर्धारण करना आदि।

1.	बोर्ड का अध्यक्ष	मुख्य सचिव
2.	प्रबन्ध निदे ाक	कॉडर पोस्ट
3.	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर	03 पद
4.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग
5.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग
7.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग
8.	डायरेक्टर	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
9.	डायरेक्टर 02 पद	मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ

(B) सलाहकार समिति

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 04 सदस्यों को नामित करेगा :–

1	जिलाधिकारी
2	प्रतिष्ठित उद्योगपति
3	टैक्नोक्रेट
4	स्ट्रेटेजिस्ट

यह समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आवश्यकतानुसार समय–समय पर अपनी सलाह देगी।

(C) <u>निगम मुख्यालय</u> :– निगम मुख्यालय द्वारा निगम के उद्देश्य एवं आउटकम हेतु कार्य किया जायेगा तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

क्र0सं	पदनाम	पद संख्या	नियुक्ति प्रकिया	वेतन / मानदेय (रू0)
1.	मैनेजिंग डायरेक्टर	1	कैडर पोस्ट	वेतनमान के अनुसार
2.	एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर	3	ऑन डेपुटेशन ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक	वेतनमान के अनुसार
3.	जनरल मैनेजर	3	आउटसोर्सिंग	1,00,000 /–
4.	मैनेजर (ऑपरेशन, एच0आर0, प्रशासन, वित्त एवं लेखा, आई0टी0, लीगल)	5	आउटसोर्सिंग	40,000 /–
5.	पर्सनल असिस्टेन्ट टू मैनेजिंग डायरेक्टर	1	आउटसोर्सिंग	25,000 /–
6.	सीनियर एकाउन्टेन्ट	8	डेपुटेशन फ्राम ट्रेजरी	25,000 /–
7.	डाटा इन्ट्री आपरेटर्स	40	आउटसोर्सिंग	18,500 /–
8.	आफिस सबारडीनेट्स	12	आउटसोर्सिंग	15,000 /–
9.	वाचमैन	3	आउटसोर्सिंग	15,000 /–

(D-1) शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति

शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा।

1	अध्यक्ष	1. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (उ0प्र0 शासन हेतु) 2. कुलपति/प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/संस्था के अध्यक्ष (संबंधित विभाग/ संस्था हेतु)
2	सदस्य/कन्वीनियर	विभाग के द्वितीय स्तर अधिकारी
3	सदस्य	वित्त विभाग के प्रतिनिधि/वित्त नियंत्रक

(D-2) मण्डल स्तरीय समिति

1	अध्यक्ष	मण्डलायुक्त
2	सदस्य/कन्वीनियर	अपर आयुक्त (प्रशासन)
3	सदस्य	संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी

(D-3) जिला स्तरीय समिति की संरचना :–

1.	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
2.	सदस्य/कन्वीनियर	मुख्य विकास अधिकारी
3.	सदस्य	संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/समस्त चिकित्सालयों/शोध संस्थान/प्राविधिक संस्थान के अध्यक्ष (नामित अधिकारी)

1. शासन/निदेशालय/नगर निगम/स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति, मण्डल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा कार्मिकों का चयन करेंगे।
2. चयनित अभ्यर्थियों को निगम के पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
3. निगम के एम0डी0 द्वारा हस्ताक्षर कर प्लेसमेंट इन्फारमेशन लेटर (PIL)/आई0डी0 कार्ड पोर्टल के माध्यम से संबंधित समिति के अध्यक्ष को प्रेषित किए जायेंगे।
4. समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर कार्मिकों को वितरित किया जायेगा।

योग्यता/मानदेय के अनुरूप श्रेणियों का निर्धारण

मैनपावर के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता एवं मानदेय के अनुरूप पदों का 04 श्रेणियों में निर्धारण का प्रस्ताव किया जाता है।

क0सं	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	मानदेय की बेसिक दर (प्रतिमाह) (रू0)
1.	<u>श्रेणी–1</u> लेक्चरर/प्रोजेक्ट ऑफीसर/एकाउन्टेन्ट ऑफीसर/असिस्टेन्ट ऑर्कीटेक्ट आदि।	स्नातक एवं अधिमानी अर्हता	25,000/–
2.	<u>श्रेणी–2</u> सीनियर असिस्टेन्ट/सीनियर स्टैनो/सीनियर एकाउन्टेन्ट/डाटा प्रोसेसिंग आफिसर/जूनियर इंजीनियर/लीगल असिस्टेन्ट आदि।	स्नातक एवं अधिमानी अर्हता	21,500/–
3.	<u>श्रेणी–3</u> जूनियर असिस्टेन्ट/जूनियर स्टैनो/टाइपिस्ट/टेलीफोन आपरेटर/स्टोरकीपर/फोटोग्राफर/डाटा इन्ट्री आपरेटर/डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट/इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक/फिटर/लाइब्रेरियन/लैब असिस्टेन्ट/सुपरवाइजर/मैनेजर/ड्राइवर आदि।	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण	18,500/–
4.	<u>श्रेणी–4</u> स्वीपर/आफिस सबार्डीनेट/वाचमैन/माली/कुक/चौकीदार/लिफ्ट आपरेटर/लैब अटेन्डेन्ट/वार्ड ब्वाय/रिकार्ड असिस्टेन्ट/अर्दली/अनुसेवक/मेट/क्लीनर/असिस्टेन्ट पम्प आपरेटर आदि।	कक्षा–10/कक्षा–8 उत्तीर्ण	15,000/

चयन प्रक्रिया

1. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी का आयु, पद हेतु निर्धारित योग्यता, पद के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धिारित मानकों के अनरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्थानीय (जनपदीय) निवास के आधार पर की जायेगी। किसी भी पद हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
2. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।
3. अधिक आयु, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी |
4. चयनित आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम (UPCOS) को भेजी जायेगी।
5. निगम (UPCOS) द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग कार्मिकों के प्लेसमेन्ट इन्फारमेशन लेटर/आई0डी0 कार्ड एम0डी0 द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे
6. निगम (UPCOS) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्लेसमेन्ट इन्फारमेशन लेटर पर कुलपति, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उ0प्र0 शासन, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष (HOD), संस्था के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वितरित किया जायेगा।
7. विभिन्न विभागों/संस्थाओं आदि में पूर्व से कार्यरत् समस्त आउटसोर्स कार्मिक निगम (UPCOS) को हस्तान्तरित (माइग्रेट) हो जायेंगे।

धन्यवाद